

न्यायालय श्री मान, राजन्त्र मंडल गवालिधर मध्य प्रदेश,



४१४ राजेन्द्र प्रसाद तिवारी ३१० स्व० श्री अनंदी प्रसाद तिवारी ३५३ ३४ वर्ष ।

४२४ लालजी तिवारी ३८० स्व० श्री आनंदी प्रसाद तिवारी ३८ ३२ वर्ष ।

੪੩੫ ਸੰਤੋ਷ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਿਵਾਰੀ ॥੧੦੦॥ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਿਵਾਰੀ ੩੫ ੨੯ ਵਰ्ष ।

४३ मिठाईलाल तिवारी ३१० स्व० श्री आनंदी प्रसाद तिवारी ३२४ वर्ष ।

श्री राम कृष्ण अनुप्रयोग
कानून का 281(87) का

श्री २८।०८।८१ का
दाता डॉ

२८-३-१३
राजस्थान विद्यालय, न.प. राजस्थान

॥५॥ राजेश प्रसाद तिवारी अं० स्थ० श्री आनंदी प्रसाद तिवारी उम् 22 वर्ष ।

४७१ रमाकांत तिवारी आ० स्व० श्री आनंदी प्रसाद तिवारी उ० 20 चरे

४७४ देवेन्द्र प्रसाद तिवारी ३० स्व० श्री ३१नंदी प्रसाद तिवारी ३२ १८ कर्ज

१४४ श्री मत्ती इन्द्रघटी तिवारी मत्ती स्वर्ग श्री आनंदी प्रसाद तिवारी

उम्र 54 वर्ष। सभी निवासी मण्डा गोलहटा तहसील कोटे जिला तत्त्वा मो प्रो-

४७३ श्री मती बूट्टे त्रिपाठी पत्नी श्री रामेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी पुत्री स्व०

श्री आनंदी प्रसाद तिवारी उमे 26 वर्ष । निवासी जुम्हानी तडो बिरसिंहपुर

जिला सतना मो प्र० -----

निगरानीकार गण

४८

१४ हमराज तिंड अटो श्री रामकरण तिंड कूर्मवंशी उम 42 कई पेशा खेती

निवारी सौदा गोलहटा तड़ो दोकर जिला तहता २० प्र.

२१ शतक ई० ३०

३८८ निराशार नम

मुमलाल त्रिपाठी
एवं केंद्र
प्रोग्राम दायरा संख्या 207112
नं. 1428067362
तिथि 10/7/88

12. ~~मात्रा~~ मात्रा

२८४

निरानी अर्त्तगत धारा 50 वा 50 वाले यात्रि

111

निराननी बिल्ड, आदेश दिनांक 5.7.012

पारित द्वारा न्यायालय भी मान, तटसीलदार

तटो कोडे जिला सतना म० प्र०, जरिये प्रकरण

क्रमांक 62312/011-012,

मान्यवर,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न है :-

१। यह कि रेस्प्र० ३०। ने मात्र सध्य प्रदेश शासन को पक्षकार बनाकर धारा 129 म० प्र० कानून माल के तटत सीमांकन के सम्बन्ध में मौजा गोलहटा की आराजी नं. १/१, १/२, १/३, ३/१/२, ३/१/१, ४/१ किटा ६ जुमला रक्षा ४.५४ एकड़, के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, उक्त कार्यवाही में निराकार गर्व को पक्षकार नहीं बनाया गया, निराकार गण के पिता आनंदी प्रसाद अत्यन्त बीमार थे, और अस्पताल में तथा छाट में पड़े थे, और उनकी मृत्यु दिनांक 10.7.012 को हो गयी थी, निराकार के पिता एवं निराकार गण को पक्षकार नहीं बनाया गया था, और सूचना निराकार को नहीं दी गयी, बिना सूचना दिये, अवैधानिक रूप से सारी सीमांकन की कार्यवाही करायी, साथ ही नवसा तरफ़िय की कार्यवाही एक साथ करा लिया, जबकि निराकार के पिता धारा 129 म० प्र० कानून माल के आवेदन के अवलोकन से छात होगा, कि एक घौड़ी कास्तकार थे, घौड़ी कास्तकार होने के नाते सूचना निश्चित तौर पर दी जानी चाहियें थी, लेकिन बिना सूचना दिये, सारी कार्यवाही की गयी है।

२। यह कि तीमांकन में आनंदी प्रसाद ने आपत्ति प्रस्तुत की थी, कि

विवादित आठवी डा यानी आराजी नं. ३/२ रक्षा ०.८। एक ४/२

माहसूल विपाति एवं दूसरे विवादित आठवी डा यानी आराजी नं. ३/२ रक्षा ०.६६ एक, मौजा गोलहटा डा स्थानी है, पैकिंग आराजी है, तथा राजेश, निवारी

113/1

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2762-एक/12

जिला - सतना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
08/04/2019	<p>आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार कोटर के प्रकरण क्र. 62/अ-12/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 05.07.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 संहिति संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20.06.2019 को कलेक्टर, जिला सतना के समक्ष उपस्थित हैं।</p> <p>(बी.एम. शर्मा)</p> <p>सदस्य</p> 	